

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन)

विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष, 2021)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रोत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

- | | | |
|----------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| धारा 140 का प्रतिस्थापन | 2. | उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे इसके आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 140 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:- |

“140. “वार्षिक मूल्य” से तात्पर्य है -

भवन या भूमि या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का पूंजीगत मूल्य जो कि भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजार्थ कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट/निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति कर के अन्तर्गत सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर प्रारम्भ होने के आगामी 5 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तत्पश्चात् अनुवर्ती वर्षों में सम्पत्ति कर में प्रतिवर्ष वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में विहित रीति से तय की जायेगी:

परन्तु, यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा एक अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा।”

- धारा 141 का प्रतिस्थापन
3. मूल अधिनियम की धारा 141 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:-
- “ 141. नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार समय-समय पर कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।”
- धारा 141 ख का संशोधन
4. मूल अधिनियम की धारा 141 ख की उपधारा (1) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:-
- “ (1) वार्षिक मूल्य के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसी दिनांक तक जैसा विहित किया जाय एक सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा।”
- धारा 144 का संशोधन
5. मूल अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (1) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:-
- “(1) अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग की निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा।”
- निरसन और व्यावृत्ति
6. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 02 सन् 2021) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

Statement of objects and reasons

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Ordinance 2021 has been brought by State Government with the objective to make amendment in previous provision related to property tax of Municipal Council/Nagar Panchayat.

2 – Proposed bill is replacing bill of aforesaid ordinance.

3 – Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Madan Kaushik
Minister

**The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment)
Bill, 2021**

[Uttarakhand Bill No. of 2021]

**A
Bill**

Further to amend the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act,1916) (Adaptation and Modification Order,2002) in the context of the State of Uttarakhand,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy- Second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement	1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Act, 2021.
		(2)	It shall come into force at once.
Substitution of section 140	2.		<p>Section 140 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act,1916) (Adaptation and Modification Order, 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall be substituted as follows, namely: -</p> <p>“140. “Annual value” means-</p> <p>Capital value of building or land or both, as the case may be, which is arrived at on multiplying the covered area of building or area of land or both, as the case may be, with the prevailing circle rate /construction rate fixed by the Collector for the purposes of Indian Stamp Act 1899:</p> <p>Provided that the rate of general tax under property tax shall be between 0.01 percent and 1 percent of annual value and in the next five years from the commencement of capital value based property tax, the tax in any case shall not be less than the tax assessed in the immediately preceeding year or more than five percent of the tax assessed in the immediately preceeding year; thereafter in the subsequent years, maximum rate of per year increase in property tax shall be decided in the manner prescribed in the rules:</p> <p>Provided also that assessment of capital value based property tax shall be done once in a year and property tax for</p>

		complete year shall be assessed on the basis of circle rate prevailing on first April.”
Substitution of Section 141	3.	Section 141 of the Principal Act shall be substituted as follows, namely: - “141. The Municipal Council/Nagar Panchayat or an officer authorised by it in this behalf, shall cause an assessment list in the Municipal Council/ Nagar Panchayat area or part thereof, to be prepared from time to time in accordance with the manner prescribed in the rules.”
Amendment of Section 141 B	4.	Sub Section (1) of Section 141 B of the Principal Act shall be substituted as follows, namely: - “ (1) For the purposes of annual value, the owner or the occupier of every building or land shall submit a property return upto a date as may be prescribed.”
Amendment of Section 144	5.	Sub Section (1) of Section 144 of the Principal Act shall be substituted as follows, namely: - “ (1) The Executive officer or an officer authorized by him in this behalf, shall authenticate by his signature, the assessment list of the Municipal Council/ Nagar Panchayat or any part thereof, as the case may be.”
Repeal and Saving	6.	(1) The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Ordinance 2021(Uttarakhand Ordinance No 02 of 2021) is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

खण्ड वार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का प्रतिस्थानी विधेयक मात्र है।

- 2- विधेयक के खण्ड-1. में विधेयक का संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
- 3- विधेयक के खण्ड-2. में धारा 140 में संशोधन प्रस्तावित है।
- 4- विधेयक के खण्ड-3. में धारा 141 में संशोधन प्रस्तावित है।
- 5- विधेयक के खण्ड-4. में धारा 141ख में संशोधन प्रस्तावित है।
- 6- विधेयक के खण्ड-5. में धारा 144 में संशोधन प्रस्तावित है।

मदन कौशिक
मंत्री

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का प्रतिस्थानी विधेयक मात्र है।

2- प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

मदन कौशिक
मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का प्रतिस्थानी विधेयक मात्र है।

2- प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय सन्निहित नहीं है।

मदन कौशिक
मंत्री

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में स्थापित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के वर्तमान परिदृश्य में व्यावहारिक संचालन, विकास व विस्तार हेतु स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2-प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डॉ० धन सिंह रावत
मंत्री